उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: http://www.upavp.com: E-mail: upavp@Sancharnet.in

सं0 1287/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 22 जुलाई, 2009 ई0

नोटिस

{उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनिथिम संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस}

रायबरेली शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रायबरेली शहर में लखनऊ–रायबरेली मार्ग पर "लखनऊ–रायबरेली मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3 रायबरेली" बनाई गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् है:

उत्तर–खसरा संख्या 794, 792, 790, 789, 786, 784 भाग, 809 भाग, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 202, ग्राम डिडौली, परगना व तहसील जिला रायबरेली। सीमा ग्राम सरावां, परगना व तहसील व जिला रायबरेली।

पूरब–सीमा ग्राम गढ़ीखास, परगना व तहसील व जिला रायबरेली व सीमा ग्राम रामपुर परगना व तहसील व जिला रायबरेली।

दक्षिण–सीमा ग्राम गोकुलपुर, परगना व तहसील व जिला रायबरेली व सीमा ग्राम किसुनपुर रामचन्द्र, परगना व तहसीलन व जिला रायबरेली।

पश्चिम–सीमा ग्राम दाउदपुर, परगना व तहसील व जिला रायबरेली व ग्राम डिडौंली, खसरा संख्या 876 व 831, लखनऊ रायबरेली रेलवे लाइन।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद् की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भी भूमि जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, वृन्दावन योजना संख्या 2, रायबरेली रोड, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ तथा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, वृन्दावन योजना संख्या 2, रायबरेली रोड, लखनऊ में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्त्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण तथा ग्राम का नाम, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

दीपक कुमार

आवास आयुक्त